प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 11.03.2025

- **थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा ग्राम उलरापुर में हुई हत्या की घटना का किया गया सफल अनावरण।**
- **घटना को अंजाम देने वाले 01 नफर अभियुक्त व 01 नफर अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस महानिरीक्षक रेन्ज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में वादिनी श्रीमती रामा देवी पुत्री सीताराम निवासिनी ग्राम उलरापुर थाना रुरा कानपुर देहात द्वारा दिनांक 08.03.2025 को दी गयी लिखित तहरीर जिसमें वादिनी के भाई को जान से मारने की नीयत से मारपीट करना व इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना रुरा पर मु0अ0सं0-65/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट बनाम 08 नफर नामजद अभियुक्तगण के पंजीकृत किया गया था। थाना रुरा पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तगण 1. राधाकृष्ण उर्फ बउआ पुत्र लक्ष्मीप्रसाद 2. श्रीमती बबीता पत्नी करन सिंह निवासीगण ग्राम उलरापुर थाना रुरा कानपुर देहात को आज दिनांक 11.03.2025 को तिगाई तिराहा मोड से मढौली जाने वाले रास्ते पर से गिरफ्तार किया गया। शेष अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों का गठन कर तलाश की जा रही है। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण –

1. राधाकृष्ण उर्फ बउआ पुत्र लक्ष्मीप्रसाद निवासी ग्राम उलरापुर थाना रुरा कानपुर देहात।
2. श्रीमती बबीता पत्नी करन सिंह निवासिनी ग्राम उलरापुर थाना रुरा कानपुर देहात।

अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-65/25 धारा 103(1)/191(2)/191(3)/352/351(2)/351(3) बीएनएस व 3(2)V एससी/एसटी एक्ट थाना रुरा कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना रुरा पुलिस टीम-

2. प्र0नि0 श्री जनार्दन प्रताप सिंह
3. उ0नि0 श्री जितेन्द्र सिंह
4. हे0का0 शिवपाल सिंह भदौरिया
5. का0 सूबेदार
6. म0का0 रेखा कुमारी
7. म0का0 रुबी चोपड़ा